न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 410/ 2022

श्री सोबरनसिह राजावत एडवोकेट चम्बर नं. 11 कचहरी परिसर रुपवास भरतपुर

.........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपंपजीयक (तहसीलदार)रुपवास जिला भरतपुर

...........रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 28.06.2022**

अपीलार्थी श्री सोबरनसिह राजावत एडवोकेट चम्बर नं. 11 कचहरी परिसर रुपवास भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी उप पंजीयक तहसीलदार रुपवास के खिलाफ सूचना का अधिकारी अधिनियम के तहत प्राप्त हुई है। प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 22.03.2022 से लोक सूचना अधिकारी उप पंजीयक रुपवास से सूचना चाही गई थी, लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी / अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी उप पंजीयक तहसीलदार रुपवास से रिपोर्ट तलब की गई।

लोक सूचना अधिकारी उप पंजीयक तहसीलदार रुपवास से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक / पंजी / 22 / 47 दिनांक 21.6.2022 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब पर गौर किया गया। अपीलान्ट द्वारा दस्तावेज (पंजीयन) की नकलें चाही जारही हैं। ऐसे दस्तावेजों(पंजयीन) की नकलें जारी करने के लिये वित्त विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 9.4.2010 से पृथक से शुल्क निर्धारित किया हुआ है। ऐसे दस्तावेजों की परिपत्र के अनुसार नकल फीस जमा कराने पर ही नकल दी जासकती हैं। नकलों का नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा कराने के लिये उप पंजीयक रुपवास

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

अपील / आरटीआई / 41 / 2022
सोवरन सिंह बनाम उपंजीयक

ने अपने पत्र क्रमांक /पंजी/22/30 दिनांक 4.4.2022 अपीलान्ट को शुल्क जमा कराने को सुचित किया गया है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 (3) में प्रावधान दिया हुआ है कि :–

> Where a decision is taken to provide the information on payment of any further fee representing the cost of providing the information,Officer, as the case may be, shall send an intimation to the person making the request, giving.

अपीलान्ट/प्रार्थीया नियमानुसार शुल्क जमा करा कर नकल/सूचना प्राप्त कर सकती है। अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट/प्रार्थीया को प्रेषित की जावे।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर